

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223286
SG-DL-E-24112020-223286

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 202
No. 254]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 202

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

सं. 52/2020-राज्य कर

सं.फा. 03(59)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/164.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग, (राजस्व-1) की अधिसूचना सं० 76/2018- राज्य कर, दिनांक 3 सितंबर, 2019, जिसे सं.फा. 3(36)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डीएस-VI/399, दिनांक 3 सितंबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

तलिका

क्र.सं.	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में, या संघ शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है	फरवरी, 2020 मार्च, 2020 अप्रैल, 2020 मई, 2020 जून, 2020 जुलाई, 2020	यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 12 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 23 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 27 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त करोड़ रुपये 5 तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्य में, या संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली में है	फरवरी, 2020 मार्च, 2020 अप्रैल, 2020 मई, 2020 जून, 2020 जुलाई, 2020	यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 5 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 9 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 15 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 25 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। यदि प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुको को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि में देय विलंब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।"

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

नोट मूल अधिसूचना सं० 76/2018-राज्य कर, दिनांक 3 सितंबर, 2019, जिसे सं.फा. 3(36)/वित्त (राजस्व-1)/2019-20/डीएस-VI/399, दिनांक 3 सितंबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 32/2020-राज्य कर, तारीख 30 सितम्बर, 2020 के द्वारा किया गया था जिसको सं.फा. 3(48)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/105, दिनांक 30 सितम्बर, 2020, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th November, 2020

No. 52/2020- State Tax

No. F. 3(59)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/164.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No. 76/2018- State Tax, dated the 3rd September, 2019, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (36)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd September, 2019, namely:—

In the said notification,-

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: —

“TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 12 th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 23 rd day of September, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 5 th day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 9 th day of

and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi		July, 2020
	May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 15 th day of September, 2020
	June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 25 th day of September, 2020
	July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of September, 2020

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from 24th June, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)

Note: The principal notification No. 76/2018– State Tax, dated the 3rd September, 2019, was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (36)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd September, 2019 and was last amended *vide* notification number 32/2020 – State Tax, dated the 30th September, 2020, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (48)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/105, dated the 30th September, 2020.